भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2039

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

समुद्र तल में वृद्धि और तटीय कटाव से होने वाली क्षति

2039. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर समुद्री जल के प्रवेश, भूमि लवणीकरण और कृषि एवं पेयजल स्रोतों पर प्रभाव के संदर्भ में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र तल में वृद्धि और तटीय कटाव से कितना नुकसान हुआ है;

(ख) तटीय गांवों और कृषि भूमि को समुद्री जल के प्रवेश और कटाव से बचाने के लिए बांध और रोकथाम दीवारें बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्रों में भूमिगत और भूमिगत लवणता के प्रवेश को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है, जिसमें पेयजल स्रोतों और कृषि भूमि की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभावित समुदायों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट पहल की गई है। उठाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें मुआवजा या पुनर्वास उपाय, यदि कोई हों, शामिल हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): सौराष्ट्र के 765 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में, समुद्री जल की लवणता जैसे प्राकृतिक कारकों और मानवीय हस्तक्षेप के कारण तटीय कटाव और भूमि लवणता की समस्या देखी जाती है। गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौराष्ट्र क्षेत्र में लवणता की समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव, गुजरात की अध्यक्षता में क्रमशः वर्ष 1976 और वर्ष 1978 में एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी-1 और 2) का गठन किया गया था। समितियों की रिपोर्ट के अनुसार, सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में 534 गाँवों का 700120 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था।

एनसीसीआर (2018) द्वारा प्रकाशित शोरलाइन परिवर्तन रिपोर्ट के राष्ट्रीय मूल्यांकन के अनुसार, सौराष्ट्र क्षेत्र में, अर्थात अमरेली, गिरसोमनाथ, पोरबंदर, देवभूमि-द्वारका और जामनगर में कटाव की और स्थाई स्थितियाँ चल रही हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में, भावनगर के जसपारा, मीठी, विराडी, थलासर और गोघा और गिरसोमनाथ के अदरी, नवापारा में कटाव देखा गया है। जूनागढ़ तट का लगभग 66% भाग कटाव का सामना कर रहा है।

(ख) और (ग): तटीय कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। एफएमबीएपी के बाढ़ प्रबंधन घटक (एफएमपी) के अंतर्गत, राज्य सरकारों को बाढ़ नियंत्रण, कटाव-

रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों का पुनरूद्धार आदि के संबंध में कार्य के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ये दो योजनाएं अर्थात 1. जामनगर जिले के तालुका, द्वारका में संगम नारायण मंदिर से गायत्री मंदिर तक कटाव के समाधान के लिए तटीय संरक्षण/समुद्री वॉल प्रदान करना; 2. सूरत जिले के डभारी, नेशकरंज और दांडी गांवों में तटीय संरक्षण/समुद्री कटाव से संबंधित समुद्री कटाव-रोधी कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 19.79 करोड़ रुपये है, को एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत XIवीं योजना के दौरान अनुमोदन दिया गया था और 2 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

उच्च स्तरीय समिति के सुझाव के अनुसार, गुजरात सरकार द्वारा सौराष्ट्र क्षेत्र में लवणता की समस्या के समाधान हेतु 14 ज्वारीय नियामक, 32 बंधारा, 18 पुनर्भरण जलाशय, 34 पुनर्भरण टैंक, 220 किमी फैलाव चैनल, 226 किमी रेडियल नहर, 680 चेक डैम, 4487 नाला प्लग और 5867 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण का कार्य किया गया है। राज्य सरकार ने सौराष्ट्र के संकटग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर कुल 3.505 किमी क्षेत्र में डाइक/समुद्री कटाव-रोधी कार्य किए हैं।

'तटीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों और कृषि भूमि की सुरक्षा के उपाय सहित भूमिगत और भूमि स्तर पर लवणता' को रोकने के लिए उपशमन कार्यों में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सीडब्ल्यूसी ने मई 2025 में 'तटीय क्षेत्रों में लवणता प्रवेश प्रबंधन परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए दिशानिर्देश' प्रकाशित किए हैं। ये दिशानिर्देश वैज्ञानिक, स्थाई और कार्यान्वयन योग्य समाधान प्रदान करता है, जिन्हें विभिन्न तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (नेक्विम) के अंतर्गत जलभृत मानचित्रण किया है और सभी तटीय जिलों की रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकारों और संबंधित जिलाधिकारियों/उपजिलाधिपतियों के साथ साझा की गई है। इसके अतिरिक्त, विशेष सचिव (जल संसाधन), गुजरात सरकार की सिफारिशों के अनुसार, नेक्विम 2.0 के अंतर्गत सीजीडब्ल्यूबी ने नवसारी जिले के तटीय क्षेत्र में लवणता के उपशमन के लिए अंबिका नदी पर निर्मित ज्वारीय नियामक की प्रभावकारिता पर एक अध्ययन किया है, इस अध्ययन में लवणता के उपशमन के लिए अपनाए गए उपायों के सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं।

(घ): गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि लवणता की रोकथाम के लिए कार्य शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ताजा पानी का पुनर्भरण, भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार और समुद्री जल के अनुचित हस्तक्षेप को रोकना है। लगभग 87,860 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुआ है और लवणता निवारण संरचनाओं में 326.40 एमसीएम ताजा पानी संग्रहित किया गया है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों को संपूरित करती है और अपेक्षित लॉजीस्टिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार मौजूदा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' वाली आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) की विजिट के आधार पर आकलन शामिल होता है। पिछले पांच, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक, गृह मंत्रालय द्वारा एसडीआरएफ के केंद्रीय शेयर के रूप में 4414.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****